-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा अवैध खनन कर सरकार को राजस्व क्षति पहुँचाने वाले गिरोह के 02 सदस्यों (पिता-पुत्र) की अपराध में संलिप्त रहकर अर्जित की गई 36.75 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क। प्रकरण में पूर्व में 03 अन्य अभियुक्तों की 85.71 लाख रुपये की संपत्ति को किया गया था कुर्क।**

विवरण- प्रदेश में माफियाओं व मोरम का अवैध खनन कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की **जीरो टॉलरेंस** की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से मोरम का खनन कर संम्पति का अर्जन करने तथा सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को बांदा पुलिस द्वारा जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के **02 अभियुक्तों की आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 36.75 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है**। गौरतलब हो कि अभियुक्त गिरोह बनाकर मोरम का अवैध खनन एवं परिवहन कर सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति पहुँचायी जा रही थी। इस संबंध में थाना पैलानी पर मु0अ0सं0 166/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों द्वारा लगातार समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से धन अर्जन किया जा रहा था। अभियुक्तों की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस द्वारा थाना पैलानी पर **मु0अ0सं0 04/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत करते हुए** गैंग चार्ट तैयार की गई थी। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी श्री सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में 02 अभियुक्तों **1. विवेक सिंह सेंगर पुत्र संतोष कुमार व 2. संतोष कुमार पुत्र रामसोहावन नि0 बेरा गढीवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर** की आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा अवैध रुप से अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आज 06.08.2025 को दोनों अभियुक्तों की कुल 36 लाख 75 हजार की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि इसी अभियोग में दिनांक **01.06.2025 को 03 अभियुक्तों** 1. मो0 रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मोहल्ला शेखन कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर, 2. हलीम खान पुत्र घुरु खान निवासी सलीहाबाद थाना ललौली जनपद फतेहपुर व 3. मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान निवासी ग्राम सलीहाबाबा थाना ललौली जनपद फतेहपुर, की अवैध रुप से अर्जित की गई **85 लाख 71 हजार 500 रुपये** की सम्पत्ति को कुर्क किया गया था।

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. ट्रक UP71AT1916 अनुमानित कीमत 18 लाख 53 हजार रुपये
2. ट्रक UP71AT1833 अनुमानित कीमत 18 लाख 22 हजार रुपये